भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

एल0 सी0 वाद संख्या–02/2013–14

केश का प्रकार :– भू–हदबंदी

श्री जुगल बेरा, पिता–स्व0 अनन्त बेरा .... आवेदक

–बनाम–

सत्यवान बेरा, पिता–स्व0 अनन्त बेरा एवं अन्य–02 .... विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
8.03.18	यह भू–हदबंदी वाद आवेदक श्री जुगल बेरा, पिता–स्व0 अनन्त बेरा, निवासी ग्राम–कापाड़िया, थाना–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा (1) श्री सत्यवान बेरा, पिता–स्व0 अनन्त बेरा, ग्राम–कापाड़िया, थाना–बहरागोड़ा, (2) श्री सुनील कुमार साव, पिता–स्व0 प्रफुल्ल कुमार साव, ग्राम–ईचड़ाशोल, थाना–बहरागोड़ा एवं (3) श्री बिनोद बेरा, पिता–स्व0 सन्तोष बेरा, ग्राम–कापाड़िया, थाना–बहरागोड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकर बनाकर भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–16(3) के तहत आवेदन पत्र के साथ वकालतनामा, निबंधित केवला दलील संख्या–09/2013, दिनांक–04/01/2013 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति दलील में वर्णित मूल्य का 10% के साथ कुल–1,65,000.00 (एक लाख पैंसाठ हजार) रूपये का चालान रसीद संख्या–05, दिनांक–03/04/2013 आदि दाखिल किया गया हैं। आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध हैं। प्रश्नगत भू–खण्ड मौजा–ईचड़ाशोल, थाना नं0–919, खाता नं0–33, प्लॉट नं0–171, रकवा–13.5 डीसमल जमीन से संबंधित हैं। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र द्वारा बताया गया है कि प्रतिवादी नं0–1 ने प्रतिवादी नं0–2 एवं 3 को खतियानी रैयत के संयुक्त जमीन जिसका रकवा–13.5 डीसमल हैं को बिक्री केवाला दलील संख्या–09/2013, दिनांक–04/01/2013 द्वारा बिक्री किया गया हैं। प्रश्नगत भूमि को खरीदने का सबसे पहला	

Mr

हक/अधिकार आवेदक का होता है क्योंकि आवेदक उक्त भूमि का संयक्त रैयतदार हैं। परन्तु प्रतिवादी नं–1, प्रतिवादी नं–2 एवं 3 को जमीन बेचने संबंधी जानकारी आवेदक को नही दिया गया। बिहार भू हदबंदी अधिनियम की धारा–16(3) के तहत द्वितीय पक्ष के बिक्री दलील को रद्द करते हुए न्यायालय आवेदक को अपने नाम से दलील निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

आवेदक के आवेदन के आलोक में उभय पक्षों को सूचना निर्गत किया गया। सूचना प्राप्ति के बाद उभय पक्षों की ओर से न्यायालय में अपने–अपने उपस्थिति दर्ज किये। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। आवेदक पिछली तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहे है, इसलिए एक पक्षीय सुनवाई का आदेश दिया गया।

द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा तथा बहस के दौरान द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उनके पक्ष में निम्नांकित बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखाः–

यह विवाद भू–हदबंदी धारा–16(3) के अनुसार आवेदक का आवेदन सही नहीं है। आवेदक एवं द्वितीय पक्ष श्री सत्यावन बेरा एवं अन्य के बीच पूर्वजों का सम्पत्ति आपसी बॉटवारा के माध्यम से अपना–अपना हिस्सा दखल करते है एवं उसी के आधार पर प्रथम तथा द्वितीय पक्ष के सत्यावन बेरा ने दुसरे को ही जमीन बेचते आ रहे है, इसमें किसी का कोई आपत्ति नही थी। प्रावधनानुसार विवादित भूमि कुल– 13.5 डिसमल काफी छोटा हिस्सा है जो कि वस्तु/बाड़ी के लिए द्वितीय पक्ष श्री सुनील कुमार साव एवं बिनोद बेरा द्वारा खरीदा गया हैं, जबकि प्रावधानानुसार भू–हदबंदी की धारा–16(3) कृषि भूमि पर ही लागु होता हैं। (para-13, 14, 15, C.W.J.C. No732,733, 735 and 742 of 1993 Chatur sah and another –VRS- Chandra Bhushan Maharaj and others) में उल्लेख है।

सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य तालिका–2016 (Census town) के अनुसार मौजा–ईचड़ाशोल थाना नं0–919 शहर अंचल के हिसाब से ही अन्तरभूत किया गया, जबकि विवादित जमीन इसी श्रेणी में आता हैं। वाद की भूमि से

संबंधित स्पष्ट जानकारी के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत गवाहों यथा श्री कुमेद चन्द्र बेरा एवं श्री अम्बिका बारिक का परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण भी किया गया हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वास योग्य है एवं इससे सटा हुआ जमीन पर दुसरों का घर अवस्थित है। जिनके नाम भी गवाहों द्वारा उल्लेख किया गया है। उपरोक्त गवाहों का बयान भी आवेदक के पक्ष में नही जाता हैं। इस वाद के साथ एक ही आवेदक द्वारा दुसरों विपक्षियों के विरूद्ध भू–हदबंदी संख्या– 01/2013–14 एवं 03/2013–14 एक ही साथ में वाद दायार किया गया हैं। भूमि का स्वरूप तीनो वादों में एक जैसा होने के कारण गवाहों का बयान भू–हदबंदी संख्या– 01/2013–14 में ही लिया गया है तथा सभी वादों में गवाहों का बयान समझा जायेगा। तीनों वादों में एक ही आवेदक होने के नाते दोनो गवाहों का बयान भू–हदबंदी वाद संख्या–01/2013–14 एवं 03/2013–14 तथा इस वाद के साथ भी लागु होगा।

अतः प्रथम पक्ष के लगातार अनुपस्थिति एवं पक्ष रखने का मौका देने के उपरांत उपस्थित द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस को सूनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आवेदक के आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। तदनुसार न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचता है कि भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–16(3) के तहत आवेदक के द्वारा दायर आवेदन पत्र को खारीज किया जाता हैं तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं।

यदि पारित आदेश के विरुद्ध किसी को अपात्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

8/3/2018

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

8/3/2018

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

c.c. of 1st & last order is issued.
18/05/18

c.c. of initial order & last order is issued.
25/07/18